

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2023 — अश्विन 26, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2023

क्र. 12454/डी. 82/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 09-09-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्र. 17 सन् 2023)

### छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम,  
विस्तार तथा  
प्रारंभ.
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

- अनुसूची का  
संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 16 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"17.	श्री दावड़ा विश्वविद्यालय	मानव रचना एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के	ग्राम-भेलवाडीह, तहसील-अभनपुर, जिला -रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पत्रकारिता/जनसंचार/ गीडिया</li> <li>• कला/मानविकी/समाज विज्ञान</li> </ul>

			अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 2795, दिनांक 13-04-2009.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण</li> <li>• विधि</li> <li>• व्यवसाय प्रशासन/ वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त</li> <li>• ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान,</li> <li>• होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा</li> <li>• विज्ञान</li> <li>• व्यावसायिक शिक्षा में प्रमाणपत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.”</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

अटल नगर, दिनांक 19 अक्टूबर 2023

क्र. 12454/डी. 82/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 17-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 17 of 2023)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2023.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title,  
extent and  
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2023.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment of  
Schedule.**

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 16 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"17.	Shri Davara University	Manav Rachna Education Society	Society Registered under the Chhattisgarh Society Registrakaran Adhinyam, 1973 (No.44 of 1973),	Village-Bhelwadih, Tahsil-Abhanpur, District-Raipur, Chhattisgarh.	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M.Phil., Ph.D. and other research level only regular courses in – <ul style="list-style-type: none"> <li>• Journalism/Mass Communication /Media</li> <li>• Arts/Humanities/Social Science</li> <li>• Education/Teacher Training</li> </ul>

			Registration Number 2795, dated 13.04.2009			<ul style="list-style-type: none"><li>• Law</li><li>• Business Administration/ Commerce/Management/Finance</li><li>• Library and Information Science</li><li>• Hotel Management/Hospitality/ Tourism/Travel</li><li>• Sciences</li><li>• Vocational Education.”</li></ul>
--	--	--	---	--	--	---